राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्की में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में संस्थान में कार्यरत रहेः–

नाम	**कार्यकाल**
श्री नानक चंद भारद्वाज (ग्रुप इंस्ट्रक्टर)	04/12 से 30.6.2012
श्री सतीश ठाकुर (ग्रुप इंस्ट्रक्टर)	17.7.2012 से 03/15

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	7	उपयुक्त वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण के अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	0.52
2	10	छात्रों से निधियों की राशि की कम वसूली किये जाने बारे	0.24

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों के सटिप्पण उत्तरों की समीक्षा के उपरान्त कुछ पैरों का निपटारा किया गया। संस्था में बकाया पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

अंकेक्षण अवधि 10/07 से 03/12

पैरा संख्या	4	अनिर्णीत	
पैरा संख्या	5	निर्णित	(संतोषजनक कार्रवाई उपरान्त)
पैरा संख्या	6	निर्णित	(संतोषजनक कार्रवाई उपरान्त)
पैरा संख्या	7	अनिर्णीत	
पैरा संख्या	8	अनिर्णीत	
पैरा संख्या	9	अनिर्णीत	
पैरा संख्या	10	निर्णित	(संतोषजनक कार्रवाई उपरान्त)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्की, जिला सोलन की अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के छात्र निधियों का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह

7/12, 7/13 तथा 7/14 एवं व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 11/12, 8/13 तथा 9/14 के लेखाओं का चयन किया गया।

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान लेखाओं का अंकेक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया। उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की अधूरी/अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 का कोई दायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अर्की के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000 आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा शीघ्र भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 75 दिनांक 19.8.2015 द्वारा प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध किया गया था। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को जोगिन्द्रा सैन्ट्रल का–आपरेटिव बैंक लि0 की ड्राफ्ट संख्या 083807 दिनांक 27.8.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्की द्वारा प्रस्तुत संस्थान के अवधि 1.4.2012 से 31.03.15 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है, जिसका सम्पूर्ण विवरण यथा **परिशिष्ट–'क'** पर भी दिया गया है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2012-13	153308	766550	919858	578196	341662
2013-14	341662	350822	692544	331193	361351
2014-15	361351	744166	1105517	397826	707691

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़वही के अनुसार शेष	707691
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष	708397
दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़वही की अनुसार शेष एवं बैंक (बचत खाते), के शेष में अंतर – (अंतर का विवरण बैंक समाधान विवरणी में दिया गया है)	688

5 बैंक समाधान विवरणों

संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई दिनांक 31.3.2015 तक की बैंक समाधान विवरणी (तथा) परिशिष्ट **'क'** पर संलग्न है।

6 निवेश

संस्थान द्वारा परिशिष्ट **'क'** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार सावधि जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी।

7 उपयुक्त वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण ₹52,901 के अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान के बचत खातों में अध्याधिक राशि बिना निवेश के पड़ी थी। यदि इस राशि का एक समुचित भाग समय–समय पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता, तो इससे संस्थान को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सकती थी। यदि वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को भी सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो संस्थान को निम्न विवरणानुसार ₹52901 के ब्याज की अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के अन्तर्गत भी उचित वित्तीय प्रबन्धन हेतु सुझाव दिया गया था, परन्तु संस्थान द्वारा इस बारे अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि इस संदर्भ में संस्था स्तर पर जांच करके संस्थान की राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पर भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सके।

क0सं0	**31 मार्च को अन्तिम शेष**	**स्तम्भ (3) में दर्शाई गई राशियों का 75% भाग जोकि सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था।**	**5% अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की राशि**
1	341662	256247	12812
2	361351	271013	13551
3	707691	530768	26538
		कुल योग	**₹52901**

8 रोकड़ वही एवं निधि संग्रह रजिस्टर के रखरखाव बारे

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही तथा निधि संग्रह रजिस्टर में कई पृष्टों पर कटिंग्स तथा ओवर–राइटिंग की गई थी तथा की गई कटिंगस/ओवर राईटिंगस को सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अतः सम्बन्धित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	तिथि	निधि संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या	तिथि
70	9.8.2012	38	10 से 13.7.2012
82 से 84	30.3.2013 से 8.5.2013	46 से 48	6 से 11.7.2013 तक
92	5.8.2013	—	—
99	1.11.2013	—	—

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि रोकड़ वही में वाउचर संख्या अंकित नहीं की जा रही थी। अतः भविष्य में रोकड़ वही तथा वाउचरों पर वाउचर संख्या का अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 रसीद बुकों के रखरखाव के बारे

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी रसीद बुकों से सम्बन्धित स्टोक रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुकों के क्रय किये जाने/छपवाने बारे तथा जारी किये जाने/ इस्तेमाल किये जाने बारे तथा रसीद बुकों के आरम्भिक एवं अंतिम शेषों की पड़ताल नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में यह प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का अलग से रखरखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाएं।

10 छात्रों से निधियों की ₹24,400 की कम वसूली किये जाने बारे

आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं से निम्नानुसार ₹24,400 के निधियों की कम वसूली की गई।

वित्त वर्ष	निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर में जितने छात्र/छात्राओं से अर्धवार्षिक शुल्क प्राप्त किये गये थे।	निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार माह फरवरी में जितने छात्र/छात्राओं से अर्धवार्षिक शुल्क प्राप्त किये गये थे।	जितने छात्र/ छात्राओं से कम शुल्क प्राप्त किये गये थे।	जितने फण्ड कम प्राप्त किया गया था।
2013—14	74 (निधि संग्रह रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 46 से 53, दिनांक 6.7.2013 से 28.10.2013)	65 (निधि संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या 54 से 55, दिनांक 7.2.2014 से 20.2.2014)	9	(1400 x 9)=₹12,600 =125(एस0डब्ल्यू0एफ0)+500 (डिवेलपमेंट एवं बिल्डिंग फण्ड एवं वाटर चर्जिस) +100 (मेडिकल फण्ड) +100 (इन्टरनल

				एग्जाम फण्ड) +25 (लाइब्रेरी फण्ड)+50(ट्रेनिंग प्लेसमेंट फण्ड) +500(कम्प्यूटर फण्ड)=1400
2014–15	48 (निधि संग्रह रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 58 से 63) (61 एवं 62 छोड़कर), दिनांक 5.7.2014 से 15.9. 2014)	40 (निधि संग्रह रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 67 से 70 तक, दिनांक 9.2. 2015 से 21.2. 2015)	8	(1475x8)=₹11,800 =[125(एस0डब्ल्यू0एफ0))+ 500 (डिवेलपमेंट एवं बिल्डिंग फण्ड एवं वाटर चर्जिस)+100 (मेडिकल फण्ड)+100 (इन्टरनल एग्जाम फण्ड)+50(लाइब्रेरी फण्ड) +600(कम्प्यूटर फण्ड)=1475
			कुल योग	**24,400**

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹24,400 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके व संस्थान के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त राशियों को बिलम्ब से राजकीय कोष में जमा करवाना

अंकेक्षण के दौरान संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त राशियों को सरकारी कोष में विलब्म से जमा करवाया गया है, जैसा कि निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है तथा यह नियमानुसार उचित नहीं है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में शुल्कों से प्राप्त राशियों का सरकारी कोष में नियमानुसार समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ वही (सरकारी पृष्ठ संख्या)	अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क	जिस अवधि के दौरान सम्बन्धित प्रवेश शुल्क एवं शैक्षणिक शुल्क पास की गई	जिस तिथि को जमा करवाई गई	चालान संख्या
1	117 से 119	31000(8200+6200 + 2800+11400+ 2200+200)	10.7.2012 से 8.8. 2012	09/08/02	18
2	153	36000(2500+7200 +800+9600+ 100+ 1200+1400+ 13200)	(निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार राशि दिनांक 6.7.2013 से 11.7.2013 तक प्राप्त की गई, जोकि सरकारी रोकड़ वही में दिनांक 23.7.2013 को दर्ज की गई)	23/07/13	AA 98331

12 चालानों का सरकारी कोष के साथ मिलान न करना

संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क शैक्षणिक शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त राशियों को विभिन्न चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया गया है, परन्तु संस्थान द्वारा समय–समय पर जमा करवाई गई इन राशियों का सम्बन्धित कोष कार्यालय से मिलान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप चयनित मासों में प्राप्त निम्नलिखित शुल्क की राशियां जोकि चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गई थीं, का मिलान सरकारी कोष से प्राप्त की गई विवरणी से नहीं किया जा सका, क्योंकि सम्बन्धित कोष कार्यालय द्वारा जारी जमा सम्बन्धी विवरणी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ समस्त शुल्कों के सरकारी कोष में जमा से सम्बन्धित विवरणी कोष कार्यालय से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में भी सरकारी कोष में जमा करवाए गये समस्त शुल्कों का मिलान सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी विवरण प्राप्त करके नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ वही (सरकारी) की पृष्ठ संख्या	अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क	जिस अवधि से सम्बन्धित प्रवेश शुल्क एवं शैक्षणिक शुल्क प्राप्त की गई	जिस तिथि को जमा करवाई गई	चालान संख्या
1	117 से 119	31000(8200+6200+ 2800+11400+ 2200+200)	10.7.2012 से 8.8.2012	9.8.2012	18
2	153	36000(2500+7200+800 +9600+ 100+ 1200+1400+ 13200)	23.7.2013 (निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार राशि दिनांक 6.7.2013 से 11.7.2013 तक प्राप्त की गई, जोकि सरकारी रोकड़वही में दिनांक 23.7.2013 को ली गई)	23.7.2013	AA 98331
3	182	3800	5.7.2014	07.7.2014	191820

13 छात्र/छात्राओं के बीमे के लिए किये गये भुगतान बारे

दिनांक 30.9.2014 को रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 116 के अनुसार संस्थान द्वारा 85 छात्र–छात्राओं के समूह बीमे हेतु ₹8600 का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया, जबकि छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर बीमा कम्पनी को 85x100=8500 देय थी। इस संदर्भ में वाउचर में दर्ज विवरण के अनुसार पाया गया कि एक छात्र जोकि राजकीय औद्योगिक संस्थान

मण्डी से प्रशिक्षण हेतु अर्की संस्थान में भेजा गया था, उस छात्र की फीस मण्डी संस्थान में जमा थी तथा अर्की संस्थान के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई थी। अर्की संस्थान ने अपने 85 छात्रों का समूह बीमा करवाते समय मण्डी से भेजे गये इस छात्र का बीमा भी अपनी SWF निधि से करवा दिया था। अतः बीमा की उक्त जमा करवाई गई ₹100 के साथ–साथ उक्त छात्र के अन्य शुल्क/निधियों से सम्बन्धित राशियां भी मण्डी संस्थान से शीघ्र प्राप्त करके इसे संस्थान की SWF के खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 श्रीमति स्वर्णा देवी (अनुदेशिका) को ₹10 का अधिक भुगतान किये जाने बारे

दिनांक 7.8.2013 को रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 94 के अनुसार श्रीमति स्वर्णा देवी (अनुदेशिका) को 19 PNTC लिखने हेतु एक PNTC लिखने के दौरान खराब होने की स्थिति में (19PNTCx3 प्रति PNTC-10 प्रति खबरा PNTC) कुल ₹47 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उन्हें ₹57 का भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई ₹10 की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 वस्तुओं के क्रय के दौरान पूर्ण प्रक्रिया न अपनाये जाने बारे

संस्थान द्वारा निम्नलिखित क्रय करते हुए सम्बन्धित पूर्ण विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। इस प्रकरण में संस्थान द्वारा जो निविदाएं (quotations) प्राप्त की गई थी, उन्हें खोले जाने पर उन पर एवं निविदाओं के लिफाफों पर क्रय समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, जोकि नियमानुसार होने चाहिए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

माह	रोकड़वही पृष्ठ संख्या	बिल/वाउचर की राशि	फर्म का नाम	क्रय की गई वस्तुओं का विवरण
11/12	75	375375	बंसल इंडस्ट्रियल कोर्पोरेशन	डेस्क टॉप कम्प्यूटर

16. किये गये भुगतान के विरूद्ध पावतियां प्राप्त न करना

संस्थान द्वारा निम्न भुगतानों के विरूद्ध पावतियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित पावतियां अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में किये गये सभी भुगतानों के विरूद्ध नियमित रूप से पावतियां प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

विवरण	माह	रोकड़वही पृष्ठ संख्या	राशि
छात्र–छात्राओं के पंजीकरण हेतु हिमाचल तकनीकि शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को किया गया भुगतान	9/14	116	5200
छात्र–छात्राओं के बीमे हेतु बीमा कम्पनी को किये गया भुगतान	9/14	116	8600

17 छात्र कल्याण निधि से ट्रेनरस के वेतन/honorarium के क्रय में ₹39330 का भुगतान किये जाने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में ट्रेनरस के वेतन/honorarium के रूप में ₹39,330 का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया, जोकि छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस प्रकरण में वर्णित ₹39,330 के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्र कल्याण निधि में से किये गये ट्रेनरस के वेतन/honorarium के रूप में भुगतान से सम्बन्धित समस्त राशि की गणना संस्था स्तर तथा समस्त राशि को प्राप्त करके छात्र कल्याण निधि के खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	दिनांक	ट्रेनर का नाम	राशि
75	01/11/12	श्री राजेन्द्रर चौहान	7200
93	05/08/13	श्री राजेन्द्रर चौहान	6300
93	05/08/13	श्री सौरभ शर्मा	5940
114	01/09/14	श्री पंकज पटियाल	10800
114	01/09/14	श्री सौरभ शर्मा	9090
		कुल योग	**₹39,330**

18 सम्बन्धित अभिलेख न दर्शाए जाने बारे

संस्थान द्वारा SWF के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेनरस की नियुक्तियां की गई थी, परन्तु उनकी नियुक्तियों से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। संस्थान द्वारा **परिशिष्ट 'ख'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नियुक्त किये गये ट्रेनरस को theory एवं practical की कक्षाओं के लिए क्रमशः ₹180 व ₹90 प्रति घंटे की दर से भुगतान किया गया, परन्तु उनकी नियुक्तियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण ट्रेनरस को देय उपरोक्त रेटस के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ नियुक्तियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
श्री राजेंदर चौहान	ट्रेनर	29.9.2012
श्री सौरभ शर्मा	ट्रेनर	1.6.2013
श्री पंकज पटियाल	ट्रेनर	13.11.2013

19 स्टोर/स्टोक बारे

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टोक से सम्बन्धित अभिलेख के रखरखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:–

(क) सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियां न दर्शाए जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियां सम्बन्धित रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित रजिस्टर में यह प्रविष्टियां दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

दिनांक	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	राशि	विवरण
19.11.12	75	375375	10 डेस्क कम्प्यूटर (स्टोक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 13(क्रम संख्या 53) के अनुसार यह कम्प्यूटर्स PSR रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 81 पर हस्तांतरित किये गये थे, परन्तु सम्बन्धित रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया)

(ख) स्टोर/स्टोक तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किये जाने बारे

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है, ताकि संस्थान में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणित की जा सके तथा संस्थान प्रयोग में लाये जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः संस्थान की सभी रोकड़ वहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज करके तथा उन पर Inventory Number लिखकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन (physical verfication) न करवाए जाने बारे

वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टोक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है और न ही

विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है, फलस्वरूप विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का संस्थान से समय पर नियमानुसार निस्तारन (disposal) भी नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में अंकेक्षण के दौरान लिखित तथा मौखिक रूप से स्टोर/स्टोक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए ।

20. विविध

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान कालातीत होने पर जब्त की जा चुकी संस्थगत (institutional) प्रतिभूतियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कालातीत होने पर जब्त की जा चुकी समस्त संस्थागत (institutional) प्रतिभूतियों का विवरण तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ख) चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संस्थान द्वारा पहचान पत्र व अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया, जोकि उचित नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से अथवा उनसे अन्नापति पत्र प्राप्त करके ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी विभागों, बोर्डों तथा निगमों इत्यादि द्वारा अपने कार्यालयों की आवश्यक वस्तुओं का क्रय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर संविदाओं (rate contracts) पर निर्धारित फर्मों से ही किया जाना अपेक्षित हैं। खुले बाजार से क्रय केवल उन्हीं परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जब कोई वस्तु दर संविदा पर उपलब्ध न हो। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में विभिन्न वस्तुओं के क्रय उपरोक्त निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) संस्थान द्वारा बिलों/कैश मैमों पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 97 तथा 98 के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र दिए जाने भी अपेक्षित है, जोकि नहीं दिए जा रहे हैं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त नियमानुसार रिकार्ड तैयार करके विभिन्न बिलों/कैश मैमों पर प्रमाण पत्र दिए जाने सुनिश्चित किया जाए।

21. **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22. **निष्कर्ष :** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)XI(IV)139/2012-खण्ड—1—138—140 **दिनांकः08.01.2016**
शिमला—09
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अर्की जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भिजवायें।
2 निदेशक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।
3 विशेष सचिव, (तकनीकी शिक्षा विभाग) शिमला—171002.

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.